

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड

हितवाचक परिसर, अवन्ति विहार कालोनी, मुख्यालय-रायपुर

रायपुर, दिनांक 13/03/15

क्रमांक/वि.जां./2015/1412

प्रति,

श्री गिरीश शर्मा

उपप्रबंधक (निलंबित)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड,
जिला कार्यालय-रायपुर

Exp-13

द्वारा : जिला प्रबंधक, रायपुर।

विषय : आरोप-पत्र बाबत।

विषयांतर्गत आपके छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर में प्रबंधक संचालक के निज सहायक पद पर पदस्थी के दौरान राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दिनांक 12.02.2015 को छापा मारा गया। छापा के दौरान आपके कार्यालयीन कक्ष से नगद राशि जब्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिससे शासन एवं निगम की छवि धूमिल हुई।

आपके उक्त कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपके विरुद्ध अधिरोपित आरोप एवं आरोपों से संबंधित विवरण पत्रक मय दस्तावेजों के संलग्न कर प्रेषित है :-

1. अधिरोपित संलग्न आरोपों के संबंध में प्रति उत्तर 15 दिवस में भेजें।
2. यह भी अवगत करावे कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं?
3. इस पत्र की अभिस्वीकृति तत्काल भेजें।

क्रमांक/वि.जां./2015/1412A

प्रतिलिपि -

1. प्रबंधक (प्रशासन), छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय-रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर। श्री शर्मा को आरोप-पत्र की तामिली कराकर पावती प्रेषित करें।
3. विभागीय जांच नस्ती।
4. गोपनीय प्रतिवेदन नस्ती।
5. व्यक्तिगत नस्ती।

(ब्रजेश चंद्र मिश्र)

प्रबंध संचालक

रायपुर, दिनांक 13/03/15

प्रबंध संचालक